रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2019/भाद्र 8, 1941
No. 499] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2019/BHADRA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 614(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 1 सितंबर, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 114 में,-

(i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(1क) कोई व्यक्ति, जिसे स्थायी खाता संख्यांक आबंटित नहीं की गई है, परंतु वह आधार संख्या धारित करता है और धारा 139क की उपधारा (5ङ.) के अनुसार स्थायी खाता संख्या के बजाए उसकी आधार संख्या प्रस्तुत करता है या सूचित करता है अथवा उद्धत करता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन किया है और उससे इस नियम के अधीन आवेदन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(1ख) कोई व्यक्ति, जिसे स्थायी खाता संख्यांक आबंटित नहीं की गई है, परंतु वह आधार संख्या धारित करता है, अपनी आधार संख्या को सूचित करते हुए उपनियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को धारा 139क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) अथवा उपधारा (3) के अधीन स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए आवेदन कर सकेगा और उससे इस नियम के अधीन आवेदन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(1ग) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) यथास्थिति, उपनियम (1क) या उपनियम (1ख) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए आधार संख्या का अधिप्रमाणन करेंगे ।";

(ii) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(7) प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली),-

(क) उपनियम (1क) के अधीन आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचना देने या उद्धत करने के लिए ; या

(ख) उपनियम (1ख) के अधीन आधार संख्या की सूचना के लिए ; या

(ग) उपनियम (1ग) के अधीन आधार संख्या के अधिप्रमाणनन के लिए ; या

(घ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना प्राप्त करने के लिए,

आंकड़ों के सुरक्षित अभिग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं के साथ रूपविधान और मानक अधिकथित करेंगे और आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचना देने या उद्धत करने या उसके अधिप्रमाणन अथवा स्थायी खाता संख्या के आबंटन और उसके जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना प्राप्त करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और सुधार नीतियों को विकसित करने और उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे ।"।

[अधिसूचना सं. 59/2019/फा. सं. 370142/13/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : (1) मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 375(अ), तारीख 22 मई, 2019 द्वारा संशोधित आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।